

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बी. एन. एस. एस. के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
4742 सन् 2026

संदीप सिंह @ संदीप कुमार सिंह और 1 अन्य आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 1 अन्य विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष शुक्ला, अवनीश शुक्ला, प्रमोद कुमार

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, प्रवीण कुमार दुबे

न्यायालय संख्या - 47

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथपत्र को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
3. आवेदक ने बीएनएसएस की धारा 482 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 314 सन् 2025 में धारा 506, 471, 468, 467, 420, 406 आईपीसी के तहत पुलिस स्टेशन- कोतवाली, जिला- आजमगढ़ में अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दायर की है।
4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पक्षों के बीच समझौता हो गया है और विवादित पूरी राशि अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं द्वारा सूचनादाता को लौटा दी गई है, अतः याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत के पात्र हैं। यह भी निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ता विवेचना और मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। निवेदन किया गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की

स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

5. दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ऊपर बतायी गयी बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं और कहते हैं कि शिकायतकर्ता आवेदको की अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध नहीं करना चाहता है।

6. हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया, लेकिन वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

7. अग्रिम जमानत की सीमा और परिधि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण निर्णयों में स्पष्ट की गयी है, अर्थात् **गुरुबखश सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) 2 एससीसी 565**, **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694** और **सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य (2020) 5 एससीसी 1** शामिल हैं। इन निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार यह माना है कि अग्रिम जमानत देते समय, न्यायालय को आवेदक के आवेदन पर विचार करते हुए गिरफ्तारी के खतरे या आशंका, आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का आपराधिक इतिहास, झूठा या अतिरंजित आरोप, हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता, विवेचना और मुकदमे में आरोपी के सहयोग की इच्छा, आरोपी का आचरण और भागने का जोखिम आदि का मूल्यांकन करना चाहिए।

8. इस न्यायालय ने मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदकों ने अग्रिम जमानत का मामला साबित कर दिया है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के आवेदक - **संदीप सिंह उर्फ संदीप कुमार सिंह और कलामुद्दीन उर्फ अलाउद्दीन खान** इस आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय या विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे और 25,000 रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किए जायेगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसा प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/उन्हें डराएंगे नहीं।

(iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवसरो पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा : (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय किये जाने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत कथन दर्ज किये जाने की तिथियों पर

(iv) आवेदकों को यह वचन देना होगा कि वे साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेंगे जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

10. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से ही कही गई है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी।

(तरुण सक्सेना, न्यायमूर्ति)

16 जून, 2026

अभिषेक